न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं.:—03/2023

वादपत्र अन्तर्गत धारा:— 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रजनदीपसिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—वादी

बनाम

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सादूलशहर 3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

1. श्री भीमसिंह छिम्पा एड. — वादी
2. श्री संजीव बिश्नोई एड.— प्रति.सं. 1

दिनांक— 02.04.2024

निर्णय

वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि चक 21 ए.एम.पी. अंतिम चौसला आधार सम्वन्त 2070 से 2073 खाता सं. 38/26 खाता जसविन्द्रसिंह कुल खाता 2.791 है. मुझ वादी के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है। कि वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित पैतृक कृषि भूमि को लेकर वादी का प्रतिवादीगण सं. 1 के बीच ब्रहामी घरा घरू बंटवारानामा अर्सा दराज पूर्व हो चुका है। घरू बंटवारा अच्छी मन्दी भूमि को लेकर काश्त की सुविधा को ध्यान में रखकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानो को ध्यान में रखकर किया गया है। घरू बंटवारा अनुसार वादी के हक व हिस्सा में चक 21 ए.एम.पी. खाता सं. 38/26 पं. नं. 119/162 मु. नं. 36 किला नं. 16/1/.228, 16/2/.025गै. मु.रास्ता, पं. नं. 119/163 मु. नं. 37 किला नं. 3/.253, 4/.253, 7/.253 कुल 1.012 है. नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि आयी है। कि घरू बंटवारानामा अनुसार कब्जा काश्त मुताबिक वादभूमि वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण बिना वजह सिंव बट रकम राज आबयाना व बैंक ऋण इत्यादि को लेकर विवाद रहता है। जबकि वादी वादभूमि का जन्मजात खातेदार काश्तकार है। वादी घरू बंटवारा अनुसार वादभूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का व कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एंव दावेदार है। कि गत माह वादी ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि वो घरू बंटवारानामा अनुसार वादभूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करवा कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम करवा लेवे। तो वो पहले तो आजकल—आजकल करता रहा परन्तु [illegible] ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। बस यही वादकारण है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक [illegible]7.2.2023 को प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव बिश्नोई ने वकालतनामा पेश [illegible] किया व जबाव स्टेट पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 13.4.2023 को प्रतिवादी सं. 02 बैंक के विरूद्व एक पक्षीय आदेश पारित किये गये। वादी के वाद का कोई विरोध पत्रावली पर नही आने के कारण विवाद्यक बिन्दु कायम नही किये जाकर साक्ष्य वादी करवाये गये। साक्ष्य वादी में वादी रजनदीपसिंह ने

—2—

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

साक्ष्य में शपथ पत्र अं. आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश कर वाद पत्र में संलग्न दस्तावेज जमाबन्दी व विरासतन राजस्व रिकार्ड को प्रदर्शित करवाया गया जो प्रदर्श 1 से 2 है। तथा ओर साक्ष्य पेश नही करवाना चाहते है साक्ष्य बन्द की जाती है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादी के अभिभाषक ने वादपत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ बहस में कथन किया कि वादी का वादपत्र मांगे गए अनुतोष मुताबिक डिक्री किया जावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने भी वादी के वादपत्र को मांगे गये अनुतोष मुताबिक डिक्री किये जाने का कोई विरोध नही किया।

हमारे द्वारा वादी व प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया व वादी की ओर से पेश पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिर्काड जमाबन्दी प्रर्दश 1 तथा विरास्तन राजस्व रिकार्ड प्रर्दश 2 दस्तावेजी साक्ष्य वारिस प्रमाण पत्र तथा ब्यान गवाहान रजनदीपसिंह की साक्ष्य आदि का अवलोकन करने से वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता है जिसने वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुऐ सहमति का ईकबाल दावा पेश किया है। वादी की ओर से पेश दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी रजनदीपसिंह त4को वादग्रस्त आराजी प्राप्त होना साबित है। वादी की ओर से पेश विरास्तन साक्ष्य के तौर पर पेश दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2017 से वादग्रस्त आराजी विरास्तन होना साबित है। वादपत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने तथा विरास्तन आराजी साबित होने से वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि चक 21 एएमपी. के खाता सं. 38/26 में प्रतिवादी सं. 1 जसविन्द्रसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 1.012 है. नहरी व गैर मु. कृषि भूमि का वादी रजनदीपसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कब्जा काश्त मुताबिक खाता अलग कायम किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा प्रतिवादी सं. 1 का उक्त खाता से 1.012 है. हिस्सा कम कर वादी रजनदीपसिंह के नाम दर्ज किया जावे। यह आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.04.26 11:29:36
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

बईजलास – राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

रजनदीपसिंह पुत्र जसविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम

1. जसविन्द्रसिंह पुत्र जगरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ 2. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सादूलशहर 3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा हक व खाता तकसीम मुकदमा संख्या 03/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीमसिंह छिम्पा एड. मिन जामिन मुद्दई श्री संजीव बिश्नोई एड.मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि — अतः वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि चक 21 ए.एम.पी. के खाता सं. 38/26 में प्रतिवादी सं. 1 जसविन्द्रसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि में से 1.012 है. नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि का वादी रजनदीपसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1 जसविन्द्रसिंह का 1.012 है. नहरी मय गैर मु. हिस्सा कम कर वादी रजनदीपसिंह के नाम दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। वादी का खाता राजस्व अभिलेख निचे वर्णितानुसार अलग कायम किया जावे।

वादी रजनदीपसिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का विवरणः–

चक 21 ए.एम.पी. खाता सं. 38/26 पं. नं. 119/162 मु. नं. 36 किला नं. 16/1/.228, 16/2/.025गै. मु.रास्ता, पं. नं. 119/163 मु. नं. 37 किला नं. 3/.253, 4/.253, 7/.253 कुल 1.012 है. नहरी मय गैर मु. कृषि भूमि

नोटः– संबंधित बैंक का ऋण चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उक्तानुसार रकम राज कायम कर अमल दरामद किया जावें।

निज ...X... मुब्लिक ...X... बाबत ...100/... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना ... तारीख से तारीख बसूलयाबी तक ...X... को अदा करे।

बसबब मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04/2024 को जारी किया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:29:36 IST
Reason: SelfAttested